



प्रेषक,

सोमनाथ,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र०शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 01 जुलाई, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के 10 चालू कार्यों पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 10 कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार ₹0 40,24,000/- (रूपये चालीस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

सं०	मुख्य अभियन्ता(मु०-1) लो०नि०वि, लखनऊ	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत /कुल स्वीकृत लागत /प्राविधिक लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22838/CE-HQ1/RIDF29VR/MBD/2026-27 Dt- 19-06-2026	नि.ख. अमरोहा	ग्राम कोकापुर की मढैया से ग्राम दरियापुर तुगन तक मार्ग का निर्माण कार्य।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	219.60 21.68 241.28 235.73	0.00	235.73	213.95	21.78	5.50
	22839/CE-HQ1/RIDF29VR/VNS/2026-27 Dt- 19-06-2026	नि.ख.-1 वाराणसी	पंचकोसी मार्ग से हीरमपुर बस्ती एवं हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	295/2023/2728/001-23-9002-001-2-2023-दिनांक-22-12-2023	84.96 7.78 92.74 84.41	14.26	70.15	61.57	8.58	0.80
	22839/CE-HQ1/RIDF29VR/VNS/2026-27 Dt- 19-06-2026	नि.ख.-1 वाराणसी	कछवा बाजार से कछवा रोड मार्ग (सीखड माइनर) पूरे ग्राम	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-	73.61 7.12 80.73 76.97	13.13	63.84	56.51	7.33	0.21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			(आंगनवाड़ी) होते हुये छोटकापुर पाल बस्ती तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	दिनांक-02-01-2024						
22839/CE-HQ1/RIDF29VR/VNS/2026-27 Dt-19-06-2026	नि.ख.-1 वाराणसी	महंगाव-चन्दापुर-जखिखनी मार्ग के किमी0-2 से पाल बस्ती यादव बस्ती होते हुये अनुसचित बस्ती मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	03/2023/12-78/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	63.56	7.76	57.36	44.67	12.69	6.53	
				6.16						
				69.81						
				65.12						
22839/CE-HQ1/RIDF29VR/VNS/2026-27 Dt-19-06-2026	नि.ख.-1 वाराणसी	रखौना सम्पर्क मार्ग से रखौना राजभर एवं यादव बस्ती तक नव निर्माण का कार्य।	03/2023/12-78/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	42.52	5.94	38.18	33.07	5.11	1.00	
				4.11						
				46.63						
				44.12						
22839/CE-HQ1/RIDF29VR/VNS/2026-27 Dt-19-06-2026	नि.ख.-1 वाराणसी	ग्राम पंचायत बादीपुर में राजभर एवं अनुसचित बस्ती से ग्राम लक्षापुर आबादी भाग से होते हुये प्रा0 पाठशाला तक नव निर्माण का कार्य।	03/2023/12-78/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	67.41	6.51	63.79	56.68	7.11	0.58	
				6.53						
				73.94						
				70.30						
22856/CEHQ1/RIDF27/LKO/2026-27 Dt- 19-06-2026	प्रा.ख. हरदोई	सण्डीला अतरौली मार्ग के किमी-14 से मोहद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई 0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9 दि0 05-01-2022	250.79	1.30	272.59	228.75	43.84	20.74	
				23.10						
				273.89						
				273.89						

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

23084/CE-HQ1/RIDF29VR/AZM/2026-27 Dt-23-06-2026	नि.ख. मऊ	गोपालपुर निस्फी से बस्ती निधियांव सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	296/2023/2729/001-23-9002-002-50-2023-दिनांक-22-12-2023	83.86	8.60	83.37	73.24	10.13	2.02
				8.11					
				91.97					
				91.97					
23083/CEHQ1/RIDF29VR/LKO/2026-27 Dt- 23-06-2026	नि.ख.-2 हरदोई	असही आजमपुर मार्ग से पंचमखेड़ा (ननफखेड़ा) सम्पर्क मार्ग	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	80.68	4.63	79.69	66.32	13.37	0.50
				7.81					
				88.49					
				84.32					
22858/CEHQ1/RIDF26VR/BAS/2026-27/Dt.19-06-2026	प्रा.ख. बस्ती	श्रीराम जानकी मार्ग दोफड़ा से कोरमा सम्पर्क मार्ग	52/2021/1223-9-2021-19नार्बाड(स0मा0)/2020-दिनांक-01-03-2021	138.11	1.00	149.83	134.75	15.08	2.36
				12.72					
				150.83					
				150.83					
		योग							40.24

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,24,000/- (रुपये चालीस लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या-163/2026/आई/1381687/2026/004-23-9002-002-15-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र० प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ०प्र०शासन ।
- 12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।